[illegible]लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

70/20 तारीखरजूः– 21.10.2020

उनवानः– राधेश्याम बनाम जितेश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

	फर्द अहकाम
[illegible]-2020	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री संजय गहलोत एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायलान व गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 10.11.2020 तक विवादग्रस्त आराजी 991/0.60, 998/0.10, 307/1.17, 308/0.53, 309/0.28, 309/1497/0.08, 310/0.08, 311/0.06, 312/0.24, 313/0.01, 314/0.51, 315/0.06, 316/0.46, 317/0.33, 318/0.34, 319/0.08, 320/0.06, 321/0.01, 322/0.60, 323/0.53, 324/0.28, 325/0.22, 326/0.01, 327/0.18, 328/0.01, 329/0.33, 330/0.56, 333/0.41, 374/0.01, 1000/0.40, 995/0.44, 996/0.17, 997/0.16, 999/0.40, ग्राम पाडला खालसा एवं आराजी ख0न0 16/0.06, 17/0.52, 18/0.52, 19/0.01, 20/0.25, 21/0.30, ग्राम शंकरपुर डौरका तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी 10.11.2020 तक सायल की कब्जेकाश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही खुर्द बुर्द करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया [illegible] तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधि[illegible] शक्ति[illegible] तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा [illegible] अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार [illegible]गण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की [illegible] इस न्यायालय को [illegible]श करे। तथा उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर [illegible] आदेश 39 नियम [illegible] (क) के प्रावधानो की पालना [illegible] करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक [illegible] करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.11..2020 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक	कार्य अहकाम
10.11.20	प्रार्थी मय वकील उप०। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुनील कुमार मित्तल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। P.O. हेतु उपस्थित हो जवाब पेश करें दि० 17.12.20 को पेश हो।
23.11.20	मुलतवी तलब करोने के साथ पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से Not-Press में खारिज करने का कथन किया। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not-Press में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली के साथ संलग्न रहे। 23/11/2020 (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested